कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1687 /बदायूँ/23699/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 26, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सै0–एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : बदायूँ में पीलीभीत–बरेली–भरतपुर मार्ग (SH-33) के चैनेज किमी0 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी0 102.115 से 114.20 तक) 04 लेन विद पेब्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 13.29 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/57/2017/एफसी/91, दिनांक 30.08.2017,

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं/बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कराने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में बिन्दु–1, 9, 10 व 11 के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण वन संरक्षक, बरेली के पत्रांक–1864/14–1, दि0 14.11.2017 द्वारा तथा बिन्दु–1, 9, 10 व 11 का निराकरण वन संरक्षक, बरेली के पत्रांक–2155/14–1, दि0 11.12.2017 द्वारा करके संशोधित प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं। अतः उक्त दोनों पत्रों व संशोधित प्रस्ताव की मूल प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकः प्रस्ताव की एक प्रति।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं शासन के पत्रांक–भा.स.–175/14–2–2017–800(64)/2017, दि0 06.09.2017 के क्रम में शासन के प्रस्ताव की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में दिनांक 28.12.2017 को भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ में आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में विचार किया जाना है। अतः ऑनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित करते हुए स्वीकृति निर्गत करने हेतु शासन स्तर से भी भारत सरकार को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक–प्रस्ताव की एक प्रति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ।
3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।